09100033

पत्र संख्या-विधि / वैट-तीन-(2)-निवेश मित्र- (2009-2010) 404 / वाणिज्य कर,

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक::लखनऊ::जुलाई 17 ,2009

महोदय,

कृपया ''निवेश मित्र '' व्यवस्था विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 1022 / 77-6-2009 / 08 दिनांक 4-6-2009 एवं पत्र संख्या-उ0ब0/ 09-10/ निवेश मित्र/36 दिनांक 2-7-2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निवेश मित्र व्यवस्था का सुचारु रुप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करने की अपेक्षा की गई है।

2- उपरोक्त के क्रम में वाणिज्य कर विभाग द्वारा फील्ड के अधिकारियों के लिए परिपत्र दिनांक 17.07.09 जारी कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

3- उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उद्यमियों को प्रान्त में कोई उद्योग स्थापित करने पर सर्वप्रथम वाणिज्य कर विभाग से उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 एवं केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना होता है, जिसके प्रार्थना पत्र निवेश मित्र की उक्त वेवसाइट पर उपलब्ध है परन्तु इनके प्रारुप त्रुटि पूर्ण है। वस्तुत: इसमें उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पंजीयन प्रार्थना पत्र का प्रारुप न डालकर पुराने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पंजीयन प्रार्थना पत्र का प्रारुप डाल दिया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पंजीयन प्रार्थना पत्र के वेवसाइट पर डाले गये प्रारुप में प्रार्थना पत्र के सभी कालम उपलब्ध नही है। इन पंजीयन प्रार्थना पत्रों के सही प्रारुप समस्त संलग्नको सहित ई-मेल के माध्यम से उद्योग बन्धु को उनके ई-मेल पतो ubup@rediffmail.com एवं bandhu @up.nic.in पर भेज दिये गये हैं। अत: अनुरोध है कि कृपया निवेश मित्र के वेवसाईट पर डाले गये पंजीयन प्रार्थना पत्रों के त्रुटिपूर्ण प्रारुपों के स्थान पर इन प्रार्थना पत्रों के सही प्रारुप अपलोड करवाने का कष्ट करें।

4- उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु नियमावली में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके अनुसार फर्म के स्वामी / किसी एक साझीदार अथवा अर्थराइज्ड सिग्नेचरी का पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है जहॉ पर उसके अंगूठे की छाप स्कैन करके यह बायोमैट्रिक डेटा विभागीय सर्वर में संरक्षित करना अनिवार्य है। साथ ही फर्म के सभी साझीदारों के हस्ताक्षर भी स्कैन करके विभागीय सर्वर में डाले जाते हैं। अत: इन कार्यो हेतु फील्ड के अधिकारियों को जारी परिपत्र में निर्देशित कर दिया गया है कि वह उद्यमी का प्रार्थना पत्र अग्रेतर जांच हेतु स्वीकार करने के साथ ही बायोमैट्रिक डेटा लेने की तिथि भी नियत कर दे जिससे नियत तिथि पर

उद्यमी उपस्थित होकर अपना बायोमैट्रिक डेटा दे सके। उक्त के अतिरिक्त फर्म के समस्त साझीदारों के हस्ताक्षर स्कैन करके विभागीय सर्वर में डालने हेतु उचित होगा कि उद्यमी द्वारा वेवसाइट पर भरे गये पंजीयन प्रार्थना पत्र का एक प्रिन्टआउट निकाल कर उस पर फर्म के सभी साझीदारों के हस्ताक्षर कराकर इसे जिला उद्योग केन्द्र में, जहॉ उसे पंजीयन शुल्क के चालान की मूल प्रति जमा करनी होती है, जमा कर दिया जाय जहॉ से यह समस्त अभिलेख वाणिज्य कर विभाग को भेज दिये जाये। फील्ड के अधिकारियों को जारी परिपत्र में इसी व्यवस्था के अनुरुप उक्त निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

5- अत: अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत जारी निर्देशों में संशोधन कराने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन , उत्तर प्रदेश शासन।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।